सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 02, सोमवार, शाके 1943-फरवरी 21, 2022 *Phalguna 02, Monday , Saka 1943- February 21, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1565 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार बीकानेर-नापासर-जसरासर (एस.एच. 20बी) सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बीकानेर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	बीकानेर	बीकानेर	नापासर
2	बीकानेर	बीकानेर	सींथल
3	बीकानेर	बीकानेर	रीडमलसर(पुरोहितान/सिपाहियान)
4	बीकानेर	नोखा	साधासर

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ''लिडटेक मैनेजमेंट कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम'' एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

1.श्री निरमल्य कानूनगो (पुनर्वास विशेषज्ञ), 8117025081
2.श्री सुशील कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ), 8285212750

कार्यालय - लिडटेक मैनेजमेंट कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम
वास्ते श्री विवेक सिंह बागड़ी, निदेशक (9650060882)
बी4 806, स्पेज T-टेक पार्क,
सोहना रोड़, सेक्टर 49,
गुरूग्राम, हरियाणा-122018
ई-मेल: info@leadtech.in

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4(1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1567 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत** राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **बूंदी- सिलोर- नमाना- गरडदा- भोपतपुरा सड़क (एस.एच.- 29 बी)** को ई.पी.सी. माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बूंदी एवं जिला भीलवाड़ा में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	बून्दी	बून्दी	छतरपुरा
			सिलोर
			करजूना जागीर
			भीमपुरा
			गोपाल निवास
			बावड़ी खेड़ा
			कस्बा नमाना
			मालीपुरा
			सुन्दरपुरा
			लोयचा
			गुंवार
			गरडदा
2	भीलवाड़ा	बिजोलिया	लोर्दा
	भीलवाड़ा	बिजोलिया	भोपतपुरा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **"मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली"** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1.श्री राकेश कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),

2.श्री अरविंद कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),

कार्यालय- मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली

वास्ते श्री यशवन्त सिंह तोमर

मकान सं. बी-12, नन्दपुरी, संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास,

गली नं.-7, हवासड़क, बाईस गोदाम, जिला-जयपुर,

(राजस्थान) - 302019.

मोबाइल नं.- 9079398209

ई-मेल:office.masmjaipur@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1556 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **चुरू-तारानगर-नोहर खण्ड (एस. एच. - 36)** सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला चुरू एवं जिला हनुमानगढ़ में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	चुरू	चुरू	गाजसर
2	चुरू	चुरू	नरसिंहपुर
3	चुरू	तारानगर	भनीन
4	हनुमानगढ़	नोहर	मेघाना

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **सृष्टि सेवा समिति, 22 सर्वोत्तम कॉम्प्लेक्स, रोड न. 5, सेक्टर 4 हिरन मगरी, उदयपुर (राजस्थान) 313002** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी

सृष्टि सेवा समिति

1. श्री तेज राम मीना (परियोजना निदेषक)

सम्पर्क नं. 8107304277

2. श्री रवि सिंह बघेल (सामाजिक विषेषज्ञ)

सम्पर्क नं. 7424886556

कार्यालय- सृष्टि सेवा समिति, 22 सर्वोत्तम कॉम्प्लेक्स, रोड न. 5, सेक्टर 4, हिरन मगरी, उदयपुर (राजस्थान) 313002,

c/o वास्ते श्री तेज राम मीना (परियोजना निदेषक)

जिला-जयपुर, (राजस्थान) -302018

ई-मेल shrushtisevasamiti@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

[अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 4(1)]

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1555 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार दांतीवाड़ा - पीपाड़ - मेड़ता सिटी (स्टेट हाईवे संख्या - 21) सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला जोधपुर एवं जिला -नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
1	जोधपुर	जोधपुर	दांतीवाड़ा
2	जोधपुर	बिलाड़ा	बिनावास
3	जोधपुर	पीपाड़	चौढ़ा, बेनण, बुचकला, बांकलिया, रियाँ, जवासिया, पीपाड़, खुड़ेचा, नानण, जालीवाड़ा खुर्द, जालीवाड़ा कलाँ, मालावास, मादलिया, गढ़सूरिया, महादेव नगर, बोरुंदा
4	नागौर	मेड़ता	बीटन, बायड़, इंदावड, मोकलपुर, सातलावास, बासनी रामाचारणा, मेड़ता

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 'आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, प्लॉट नं. 5, एच.एच. कॉलोनी, बंबोर रोड, नियर जयपुर कोटा रोड, टोंक - 304001' एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अति.मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जेकब रोड़, सिविल लाईन्स,
जयपुर - 302006 (राजस्थान)
फोन नं. - 0141-2223547
ई-मेल : aceppp.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

'आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति, टोंक-304001"
1. श्री पुष्पेंद्र मीणा (पुनर्वास विशेषज्ञ) फोन नं.- 97725-29409
2. श्री दीपक गज़्ज़ा (पुनर्वास विशेषज्ञ)
कार्यालय - C/O श्री हंसराज पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद,
ग्राम नानण, तहसील पीपाड़ सिटी, जोधपुर, राजस्थान-342601

मुख्य कार्यालय :-

श्री लोकेश सिंह मीना,
आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति,
प्लॉट नं. 5, एच.एच. कॉलोनी, बंबोर रोड, नियर जयपुर कोटा रोड, टोंक - 304001
फोन नं. - 01432-245369, 94605-67312
ई-मेल : asmsgvsmmvmmu@gmail.com, asmsvs_tonk@rediffmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी॰ डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1569 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार दूदू-सांभर-भाटीपुरा (राज्य राजमार्ग संख्या -2) सड़क को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला जयपुर एवं नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	जयपुर	दूदू	दूदू
2	जयपुर	दूदू	बिजोलाब
3	जयपुर	दूदू	मालेडा
4	जयपुर	फुलेरा	नारदपुरा
5	जयपुर	फुलेरा	नरायना
6	जयपुर	फुलेरा	मातेडा
7	जयपुर	फुलेरा	बाघपुरा
8	जयपुर	फुलेरा	लालपुरा
9	जयपुर	फुलेरा	बरडोटी
10	जयपुर	फुलेरा	कस्वासांभर
11	जयपुर	फुलेरा	सिवानिया
12	जयपुर	फुलेरा	नोरंगपुरा
13	जयपुर	फुलेरा	काजीपुरा
14	जयपुर	फुलेरा	त्योद
15	जयपुर	फुलेरा	त्योंदा
16	नागौर	नावां	भाटीपुरा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, भोपाल" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

संपर्क सूत्र :-

1. योगेश महौर (भूमि अधिग्रहण सह सामाजिक विशेषज्ञ)
2. देवी दयाल सिंह (सहायक भूमि अधिग्रहण सह सामाजिक विशेषज्ञ)

कार्यालय - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, भोपाल (म0प्र0)

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स

141, सहयोग विहार, अपैक्स बैंक कॉलोनी,

ई- 8 एक्सटेंशन, भोपाल - 462039 (म0प्र0)

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 4(1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1560 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार गोटन - साथिन (स्टेट हाईवे संख्या - 86बी) सड़क को डी.बी.ओ.टी. (ईपीसी) माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला जोधपुर एवं जिला -नागौर में निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
1	जोधपुर	पीपाड़	साथिन, खांगटा, पालड़ी सिद्धा
2	जोधपुर	भोपालगढ़	खारिया खंगार
3	नागौर	मेड़ता	टालनपुर, टुंकलिया, गोटन

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 'ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 290, निर्माण नगर-AB, अजमेर रोड, जयपुर-302019' एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अति.मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जेकब रोड़, सिविल लाईन्स,
जयपुर - 302006 (राजस्थान)
फोन नं. - 0141-2223547

ई-मेल : aceppp.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
'ग्रामीण विकास ट्रस्ट,जयपुर - 302019
श्री शीम्भू सिंह तंवर (टीम लीडर), फोन नं.- 82391-78623
श्री रमेश चन्द्र मेघवाल,फोन नं.- 94622-83437
कार्यालय -C/O श्री राजेंद्र सिंह पुत्र ओंकार मल टंक,
वीर तेजा जी मार्ग, पोस्ट ऑफिस के पीछे,
बाइपुरा मोहल्ला,गोटन, नागौर राजस्थान-342902

मुख्य कार्यालय :-
श्रीमति ऋतु राज राठौड़, स्टेट हैड
ग्रामीण विकास ट्रस्ट,
290,निर्माण नगर-AB,अजमेर रोड, जयपुर-302019
फोन नं. -0141-2812432, 82391-78605
ई-मेल : gvtjaipur@gmail.com

आदेश द्वारा ,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022
अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1557 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार खेड़ली-नदबई-कुम्हेर खण्ड (एस.एच. 44) सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला भरतपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	भरतपुर	कुम्हेर	पीढ़ी

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 290, निर्माण नगर-AB, अजमेर रोड, जयपुर-302019" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

1. श्री शिंभु सिंह
2. श्री माँगीलाल

मुख्य कार्यालय :-

श्रीमति ऋतु राज राठौड़, स्टेट हैड
ग्रामीण विकास ट्रस्ट,
290,निर्माण नगर-AB,अजमेर रोड, जयपुर-302019
फोन नं. -0141-2812432, 82391-78605
ई-मेल : gvtjaipur@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

(**अंतर्गत भूमि अर्जन**, **पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम** 2013 **की धारा** 4(1))

संख्या प. 7(656) एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1562 :-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम **2013** के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम **2016** के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-**6)** विभाग के परिपत्र क्रमांक प.**1(50)**राज-**6/2016/02** दिनांक **27.01.2017** के निर्देशानुसार गढी-बागीदोरा-कुशलगढ **(एस.एच.-54ए)** सड़क को ई.पी.सी. माध्यम से **2** लेन/**2** लेन मय पेव्ड शोल्डर/**4** लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बांसवाडा में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व गांव
1	बांसवाडा	गढी	गढी
2	बांसवाडा	गढी	डडुका
3	बांसवाडा	गढी	मालना
4	बांसवाडा	गढी	रेयाना
5	बांसवाडा	गढी	जोलना
6	बांसवाडा	गढी	तामटिया
7	बांसवाडा	गढी	नोगांव
8	बांसवाडा	बागीदोरा	खोखरवाडा
9	बांसवाडा	बागीदोरा	कटरीया
10	बांसवाडा	बागीदोरा	रेनगनिया
11	बांसवाडा	बागीदोरा	बागीदोरा
12	बांसवाडा	बागीदोरा	राखो
13	बांसवाडा	बागीदोरा	सुवाला
14	बांसवाडा	बागीदोरा	कालिंजरा
15	बांसवाडा	बागीदोरा	जगोला
16	बांसवाडा	बागीदोरा	कावडीया
17	बांसवाडा	सज्जनगढ	सखरवाडा
18	बांसवाडा	सज्जनगढ	पादला कटारा
19	बांसवाडा	सज्जनगढ	खंडी देरी
20	बांसवाडा	सज्जनगढ	भमरी
21	बांसवाडा	सज्जनगढ	मोलन

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व गांव
22	बांसवाडा	सज्जनगढ	चुनखां
23	बांसवाडा	सज्जनगढ	माचा
24	बांसवाडा	सज्जनगढ	अन्देश्वर
25	बांसवाडा	सज्जनगढ	सानी डुगंरी
26	बांसवाडा	सज्जनगढ	कसुम्बा
27	बांसवाडा	सज्जनगढ	टींबा माहुरी
28	बांसवाडा	सज्जनगढ	तामेसरा
29	बांसवाडा	सज्जनगढ	रानागी
30	बांसवाडा	सज्जनगढ	टोडी
31	बांसवाडा	सज्जनगढ	चौकी डुगंरी
32	बांसवाडा	सज्जनगढ	पाली खुर्द
33	बांसवाडा	सज्जनगढ	पाली कलां
34	बांसवाडा	सज्जनगढ	सुखेदा
35	बांसवाडा	सज्जनगढ	बगीचा जांगीर
36	बांसवाडा	सज्जनगढ	लोहरीयां कलां
37	बांसवाडा	सज्जनगढ	सांसावडला
38	बांसवाडा	कुशलगढ	राती महुडी
39	बांसवाडा	कुशलगढ	तुमठ जांगीर
40	बांसवाडा	कुशलगढ	चुडादा
41	बांसवाडा	कुशलगढ	मोर
42	बांसवाडा	कुशलगढ	पोटालिया
43	बांसवाडा	कुशलगढ	कुशलगढ
44	बांसवाडा	कुशलगढ	पाटी
45	बांसवाडा	कुशलगढ	उडवा
46	बांसवाडा	कुशलगढ	सारेल
47	बांसवाडा	कुशलगढ	खेदपुर
48	बांसवाडा	कुशलगढ	बडी नागदा
49	बांसवाडा	कुशलगढ	छोटी नागदा
50	बांसवाडा	कुशलगढ	बडी पाडा
51	बांसवाडा	कुशलगढ	हीन्डोलिया
52	बांसवाडा	कुशलगढ	कोटडी
53	बांसवाडा	कुशलगढ	बगीचा कुशलगढ

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति चाकसू नया रलावता, पोस्ट-गरूडवासी तह. चाकसू जिला - जयपुर (राजस्थान) **303901** " एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम **2016** के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम **6** माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-
सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति चाकसू
1- श्री भरत लाल मीना **(**परियोजना निदेशक**)**
सम्पर्क न.**- 09414228071**
2- श्री कल्याण सिंह **(**सामाजिक विशेषज्ञ**)**
सम्पर्क न.**- 09358611441**
कार्यालय- प्लाट न. **11,** वार्ड न. **19,** कृषि मण्डी के सामने चाकसू **303901** जिला जयपुर **(**राजस्थान**)**
ई-मेल **savscks@gmail.com**

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या 7(656) /2021-22/1568 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **मालबमोरी - मांगरोल - बारां सड़क खण्ड (एस. एच.-01)** को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बारां में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	बारां	मांगरोल	मालबमोरी
2	बारां	मांगरोल	सीमल्या
3	बारां	मांगरोल	मऊ
4	बारां	मांगरोल	कराडिया
5	बारां	मांगरोल	मांगरोल
6	बारां	मांगरोल	जैतलहेड़ी
7	बारां	मांगरोल	ईशरपुरा
8	बारां	मांगरोल	झाड़वा
9	बारां	मांगरोल	भटवाडा
10	बारां	मांगरोल	बोहत
11	बारां	मांगरोल	इन्द्राहेड़ी
12	बारां	मांगरोल	किशनपुरा
13	बारां	बारां	मियाडा
14	बारां	बारां	बडां
15	बारां	बारां	खेडलीभेडोलिया
16	बारां	बारां	समसपुर
17	बारां	बारां	पीपल्दा
18	बारां	बारां	बराना
19	बारां	बारां	आमापुरा
20	बारां	मांगरोल	रामपुराभगतान
21	बारां	बारां	गोपालपुरा
22	बारां	बारां	नियाना
23	बारां	बारां	बेराखेड़ा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ''**पायोनियर इन्फ्रा कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर**'' एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

1.श्री प्रभाकर शर्मा (पुनर्वास विशेषज्ञ),

2. श्री पे्रम प्रकाश शर्मा (पुनर्वास विशेषज्ञ),

कार्यालय - पायोनियर इन्फ्रा कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

वास्ते श्री गौरव सिंह चैहान

बी-256, 10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास,

जिला-जयपुर, (राजस्थान) -302018.

फोन नं0 8740891013

फोन नं0 91-2761891-92

ई-मेल: pioneer.pcpl@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1563 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **नटनी का बारा-मालाखेडा-मौजपुर (एस.एच.-44)** सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला **अलवर** में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1.	अलवर	मालाखेडा	बीजवाड़
2.	अलवर	मालाखेडा	मालाखेडा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **"प्रोब रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्र.लि.,एफ-2/215, सेक्टर-16 रोहिनी, दिल्ली-110089"** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1.श्री आनन्द प्रताप सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),
2.श्री आशुतोष सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),

कार्यालय- प्रोब रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्र.लि.,
c/o देवी सिंह भाटी, ग्राम व पोस्ट-सेखासर,
ब्लॉक बाप,वाया फलोदी,
जिला-जोधपुर (राजस्थान) - 342301
मोबाइल नं.- 6352316276, 9616131005
ई-मेल:info_prsd@yahoo.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी.डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1))

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1558 **:-** राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार पालोदा-गढ़ी-आनन्दपुरी गुजरात सीमा तक स्टेट हाइवे 10 ए सड़क को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बांसवाडा में निम्नानुसार प्रभावित गांवों मे भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र. स.	जिला	तहसील	गांव
1.	बांसवाड़ा	गढ़ी	गढ़ी
2.	बांसवाड़ा	गढ़ी	धूल जी का गड़ा

3.	बांसवाड़ा	गढ़ी	मेतवाला
4.	बांसवाड़ा	गढ़ी	सुजाजी का गड़ा
5.	बांसवाड़ा	गढ़ी	कोडन
6.	बांसवाड़ा	गढ़ी	अगरपूरा
7.	बांसवाड़ा	गढ़ी	मोर
8.	बांसवाड़ा	गढ़ी	कुमजी का पारड़ा
9.	बांसवाड़ा	गढ़ी	बोरी
10.	बांसवाड़ा	अरथुना	सेनला
11.	बांसवाड़ा	अरथुना	नान्दडीया
12.	बांसवाड़ा	अरथुना	नवांधरा
13.	बांसवाड़ा	अरथुना	अंजाना
14.	बांसवाड़ा	अरथुना	गरनावट
15.	बांसवाड़ा	अरथुना	उदा
16.	बांसवाड़ा	अरथुना	भगतपुरा
17.	बांसवाड़ा	अरथुना	पालोदा
18.	बांसवाड़ा	अरथुना	अरथुना
19.	बांसवाड़ा	अरथुना	लोकिया
20.	बांसवाड़ा	अरथुना	केसरपुरा
21.	बांसवाड़ा	अरथुना	कोटडा
22.	बांसवाड़ा	अरथुना	पोरडा
23.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	खाँगलिया
24.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	कातरिया
25.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	छाजा
26.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	सेरा नगला
27.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	मेंना पादर
28.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	मानगड
29.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	बरकोटा
30.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	टमटिया
31.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	उबापन
32.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	नानाभुखिया
33.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी
34.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	कसुम्बरिया
35.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	गाटरोद
36.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	सरवाई
37.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	आमलिया आम्बादरा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ''राष्ट्रविकास एग्रो एज्युकेशन संस्था जयपुर'' एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

संपर्क सूत्र :-

1. श्री कमलेश कुमार जांगिड (रीजनल हेड)
2. श्री धनपाल नायक (सामाजिक विषेशज्ञ)

कार्यालय -

राष्ट्रविकास एग्रो एज्युकेशन संस्था, जयपुर
वास्ते- श्री कमलेश कुमार जांगिड (रीजनल हेड)
ए 26, मोहन नगर, मान्यवास, मानसरोवर
जिला- जयपुर (राजस्थान)
मोबाइल नम्बर - 9799352233
ई-मेल:-raesngo@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2022

(अंतर्गत भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मेंउचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4(1)

संख्या 7(656) /2021-22/1566 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **सायला - बागोडा - गुडामालानी (एस एच 16बी)** सड़क को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से **जिला जालोर/बाड़मेर** में निम्नानुसार प्रभावित गाँव में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं	**जिला**	**तहसील**	**गाँव**
1	जालोर	सायला	आसाणा
2	जालोर	सायला	बोरवाडा
3	जालोर	सायला	चोराऊ
4	जालोर	सायला	पोसाणा
5	जालोर	सायला	रोहीन्वाडा
6	जालोर	सायला	सुराणा
7	जालोर	सायला	हरमू
8	जालोर	सायला	तिलोड़ा
9	जालोर	सायला	दादाल
10	जालोर	बागोडा	बागोडा
11	जालोर	बागोडा	गुजरवाडा
12	जालोर	बागोडा	राऊता
13	जालोर	बागोडा	बाटेरा
14	जालोर	बागोडा	देवदा का गोलिया
15	बाड़मेर	गुडामालानी	लूणवा जागीर

16	बाड़मेर	गुडामालानी	लूणवा खुर्द

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **"सेन्टर फार डवलपमेंट कम्यूनीकेशन एंड स्टडीज, जयपुर"** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

संपर्क सूत्र :-

1.डॉ. उपेन्द्र सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ)

2.श्री दिनेश शर्मा (पुनर्वास विशेषज्ञ)

कार्यालय :-सेंटर फॉर डवलपमेंट कम्यूनीकेशन एंड स्टडीज, जयपुर

वास्ते डॉ. उपेन्द्र सिंह

133 फर्स्ट फ्लोर देवी नगर सोडाला

न्यू सांगानेर रोड,

जयपुर302010

फोन नंबर 9950124028

ई मेल-cdecsjpr@yahoo.in

cdecsjpr@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1564 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार बम्बोरा (किशनगढ बास) (स्टेट हाईवे संख्या - 25) से नौगॉव (एमडीआर-25/वीआर) सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला अलवर एवं जिला भरतपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	अलवर	किशनगढ बास	बमबोरा
2			डोगरा
3			नयाना
4			छोरबसई
5			रावका
6		रामगढ़	खोराकरमाली
7			इशान का बास
8			पाटा
9			नखनोल
10			निकच
11			कोटा कलांन
12			खारखारा
13			मुबारिकपुर
14			नांगली मुबारिकपुर
15			परवाड़ा
16			धनवाड़ी
17			बारामदा

18			मेघावास
19			पोडिपुर
20			मनदापुर
21			नोगॉव
22			मोहम्मदपुर
23			खेरथला
24			गोलकी
25			शेरपुर
26			अलवापुर
27			खेड़ली झांड़ा
28			मुनपुरकरमाला
29			मंदापुर
30			बाहरीपुर
31			चिड़ावा
32			टिकरी
33			बखायंका
34			मनशीरपुर
35			सुनेरा
36			सुन्हेडा
37			रसगनी
38			रबाका
39			खैरथला
40			नांगला भूरिया
41			खुशपुरी
42			खोहरी
43	**भरतपुर**	**सीकरी**	बांसबुर्जा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ''इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स, भोपाल'' एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

1.श्री. रौनक भूधरानी
2.श्री. शालिंद्र नामदेव

कार्यालय - इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स, भोपाल (म.प्र.)

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेन्ट कन्सलटेन्ट्स
141, सहयोग विहार, अपेक्स बैन्क कॉलोनी,
ई-8 एक्सटेन्सन, भोपाल - 462039 (म.प्र.)

ई-मेल: **idcbpl@gmail.com, idcbhopal@gmail.com**

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1561 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013

के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार धरियावद-पारसोला-साबला (एस॰एच॰-91) सड़क को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला प्रतापगढ़ एवं डूँगरपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	प्रतापगढ	धरियावद	बिजाणिया
2	प्रतापगढ	धरियावद	भाण्डला
3	प्रतापगढ	धरियावद	सिहाड़
4	प्रतापगढ	धरियावद	खुँटा
5	प्रतापगढ	धरियावद	नाड़
6	प्रतापगढ	धरियावद	मूंगाणा
7	प्रतापगढ	धरियावद	घटेला
8	प्रतापगढ	धरियावद	आड़
9	प्रतापगढ	धरियावद	मौखमपुरा
10	प्रतापगढ	धरियावद	पारसोला
11	डूँगरपुर	साबला	करमात
12	डूँगरपुर	साबला	गामडी
13	डूँगरपुर	साबला	गामडी निठाउवा
14	डूँगरपुर	साबला	पाल निठाउवा
15	डूँगरपुर	साबला	गामडी नई बस्ती
16	डूँगरपुर	साबला	खारदी फल्ला
17	डूँगरपुर	साबला	रीछा
18	डूँगरपुर	साबला	लेम्बाता
19	डूँगरपुर	साबला	गर्रा आरेन्डीया
20	डूँगरपुर	साबला	भाडगा
21	डूँगरपुर	साबला	साबला

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **"एटलस मेनेजमेंट कन्सलटेनसी सर्विसेस (ए.एम.सी.एस.) प्राइवेट लिमिटेड, राँची"** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

1. श्री संजय कुमार सिंह
2. श्री अमित कुमार सिंह

कार्यालय - एटलस मेनेजमेंट कन्सलटेनसी सर्विसेस (ए॰एम॰सी॰एस॰) प्राइवेट लिमिटेड, राँची
वास्ते विक्रम श्रीवास्तव
114/ए, अशोकपुरम, विपरीत रोड न॰ 4, अशोकनगर,
जिला - राँची, (झारखण्ड) - 834002.
फोन नं॰ 7541811212
फोन नं॰ 8294447409
ई-मेल: **amcspl@rediffmail.com**

आदेश द्वारा,
सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी॰पी॰पी॰ डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या प. 7(656) **एस.एच.ए/पी.पी.पी/**2021-22/1559 **:-** राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार मथानिया - तिंवरी - देचूं (राज्य राजमार्ग संख्या -61बी) व जोधपुर-तिंवरी (राज्य राजमार्ग संख्या - 95) सडक को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला जोधपुर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
मथानिया - तिंवरी - देचूं (राज्य राजमार्ग संख्या - 61बी)			
1	जोधपुर	तिंवरी	मथानिया, भेसेरकुतडी, तिंवरी, बस्सीनगर, घेवड़ा, शिवनगर, वीरतेजानगर, डऊकियों का बास, चैराई, अर्जुनदेव नगर
2	जोधपुर	औसिंया	बेरडोकाबासचकरतानिया
3	जोधपुर	सेखाला	चामू, गोदेलाई, ठाडिया, लोड़ता अचलावतान, लोड़ताहरिदासोत
4	जोधपुर	देचू	फतेहगढ़, देचू
जोधपुर - तिंवरी (राज्य राजमार्ग संख्या - 95)			
1	जोधपुर	जोधपुर	फिदूसर,कालीबेरी, रूपावतों का बेरा, नारवा, इन्द्रोका
2	जोधपुर	तिंवरी	नागेश्वर नगर, बालरवा,चैन सिंह नगर, तिंवरी

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड एक्शन (एनआईडीएस-सत्या), 105, टैगोर नगर, किरण पैलेसहोटल के पीछे, जयपुर एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अति.मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जेकब रोड़, सिविल लाईन्स,
जयपुर - 302006 (राजस्थान)
फोन नं. - 0141-2223547
ई-मेल : aceppp.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

NIDS-SATYA, जयपुर - 302006

श्री सत्यनारायण (टीम लीडर), फोन नं.- 84420-91760
कार्यालय: -बी-107,अशोक नगर, चांदना भाखर, सोमानी कॉलेज रोड,
जोधपुर (राज.) - 342008

मुख्य कार्यालय :-

श्रीमति अर्चना अग्रवाल,चैयरमेन
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एंड एक्शन (एनआईडीएस-सत्या),
105, टैगोर नगर, किरण पैलेसहोटल के पीछे, जयपुर
फोन नं. -0141-4901370, 088903-34567, 090240-25966
ई-मेल :satya_anngo@yahoo.com, Website :
www.satyaanngo.org,www.gosocialstartup.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या 7(656) /2021-22/1571 **:-**राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार राजगढ़-भादरा सड़क खण्ड (एस.एच-106) को ई॰पी॰सी॰ माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला चुरू में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	चुरू	राजगढ़	किशनपुरा
2	चुरू	राजगढ़	सिद्धमुख
3	चुरू	राजगढ़	चैनपुरा छोटा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **''नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डवलपमेंट स्टीडीज एण्ड एक्शन-सत्या, जयपुर''** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1. श्री अरविन्द कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ), मो. 6378169101
2. सुश्री मौलिका अग्रवाल (पुनर्वास विशेषज्ञ), मो. 9024025966

कार्यालय पता- नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डवलपमेंट स्टीडीज एण्ड एक्शन-सत्या, जयपुर
105, टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) 302021
मो. नम्बरः- 7014983105
दूरभाष नम्बरः-0141-3553693
ई-मेल: info@nidssatya.com, nidssatya@gmail.com

आदेश द्वारा,

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
(पी.पी.पी. डिवीजन)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 03, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 (1)

संख्या 7(656) /2021-22/1570:- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार गोल्याना - नवलगढ़ सड़क खण्ड (एम.डी.आर.-25बी) को ई.पी.सी. माध्यम से 2 लेन/2 लेन मय पेव्ड शोल्डर/4 लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला झूंझुनू में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	झूंझुनू	नवलगढ़	रामपुरा
2	झूंझुनू	नवलगढ़	बागोरियों की ढ़ाणी
3	झूंझुनू	नवलगढ़	देवीपुरा
4	झूंझुनू	नवलगढ़	बारवा
5	झूंझुनू	नवलगढ़	खोजास
6	झूंझुनू	नवलगढ़	चैनगढ
7	झूंझुनू	नवलगढ़	बसावा
8	झूंझुनू	नवलगढ़	गोठडा
9	झूंझुनू	नवलगढ़	झाझड
10	झूंझुनू	नवलगढ़	ढ़ाका की ढाणी
11	झूंझुनू	नवलगढ़	झाझडियों की ढाणी

12	झूंझुनू	नवलगढ़	नवलगढ़

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **''पायोनियर इन्फ्रा कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर''** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1. श्री प्रभाकर शर्मा (पुनर्वास विशेषज्ञ),
2. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा (पुनर्वास विशेषज्ञ),

कार्यालय- पायोनियर इन्फ्रा कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर
वास्ते श्री गौरव सिंह चौहान
बी-256,10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास,
जिला-जयपुर, (राजस्थान)-302018.
फोन नं0. 8740891013
फोन नं0 91-2761891-92
ई-मेल: **pioneer.pcpl@gmail.com**

आदेश द्वारा,
सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव, (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।